न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— श्री बजरंगलाल   प्रकरण संख्याः— 2025/39

राज. सरकार

बनाम

हेतराम पुत्र गिरधाारी जाति कुम्हार साकिन ढण्ढेला।

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांकः— 12.09.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ढण्ढेला ने एक रिर्पोट पी—14 में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी हेतराम पुत्र गिरधाारी जाति कुम्हार साकिन ढण्ढेला द्वारा रौही मौजा ढण्ढेला के खसरा संख्या खसरा नं. 198 किस्म गैर मुमकिन जोहड़ पायतन के सम्पूर्ण रक्बा 0.253 हैक्टेयर पर ग्वार , खसरा संख्या 199/2 किस्म गैर मुमकिन जोहड़ पायतन के सम्पूर्ण रक्बा 0.240 हैक्टेयर पर ग्वार, खसरा संख्या 205 किस्म गैर मुमकिन जोहड़ पायतन के 3.5540 हैक्टेयर मे से 1.265 हैक्टेयर पर ग्वार यानि कुल किता 3 के सम्पूर्ण रकबा 1.758 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थी द्वारा नाजायज काश्त करने संबंधित रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त होने पर अप्रार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज. उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज. उपनिवेषन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत हेतुक दर्षित के लिये सूचना संख्यांक—4 नोटिस दिया गया जो अप्रार्थी से तामिल होकर प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ने जवाब पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध पेश की गई रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अप्रार्थी द्वारा गैर मुमकिन जोहड़ पायतन की भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण **हेतराम** को अतिक्रमी घोषित किया जाता है अतिक्रमण करने पर 500 रूपए तावान से दण्डित किया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकर मांग कायम करें।

भू अभिलेख निरीक्षक देईदास के नाम खड़ी फसल को बहक सरकार कुर्क कर निलामी हेतु पेश करने एवम् अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश जारी हो

निर्णय आज दिनांक 12.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।